हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 58/2022 बअनवान जगदीश वगै. बनाम तगाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 13.07.2022

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री चेलाराम कुमावत

रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद इस आशय का पेश किया कि खेत खसरा संख्या 93 रकबा 15.19 बीघा मौजा तेमावास का सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेंट वादी के खातेदारी की घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 का नाम रेकर्ड से हटाया जाकर रेकर्ड दुरस्त किया जावे, एवं उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपीलांट ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट रेकर्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं, पंजीकृत बक्षीसनामा की वैधता को राजस्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, वाद पत्र व प्रार्थना–पत्र ही विधि द्वारा वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। दावे के विचाराण में रहते अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण भी मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्द बुर्द किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। अतः अपील अपीलांट द्वारा पेश अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(प्रविष्म पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर